अनुसूची १४—आर० सं० १६१।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
१	२	

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 117/2018

आवेदक प्रथम पक्ष

1. लाल मिस्त्री पिता स्व0 अनिरूद्ध मिस्त्री
2. सरयुग मिस्त्री पिता स्व0 अनिरूद्ध मिस्त्री
   साकिन+पोस्ट– बरियाही बाजार

बनाम

प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष,

1. अंचल अधिकारी, कहरा........................ विपक्षी प्रथम सेट
2. मंजु देवी पति दशरथ मिस्त्री पिता स्व0 शिबु मिस्त्री साकिन वो पोस्ट– गोरदह थाना वो भाया– सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा
3. मसो0 रजिया देवी पति स्व0 रामेश्वर मिस्त्री, साकिन वो पोस्ट– बरियाही बाजार, थाना–बनगॉव
   .... विपक्षी द्वितीय सेट

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद लाल मिस्त्री वो सरयुग मिस्त्री पे0 स्व0 अनिरूद्ध मिस्त्री, ग्राम बरियाही बाजार, थाना–बनगॉव, अंचल–कहरा, जिला–सहरसा के द्वारा श्रीमती मंजु देवी पति दशरथ मिस्त्री पे0 स्व0 शिबु मिस्त्री सा0 गोरदह थाना वो भाया– सिमरी बख्तियारपुर एवं मसो0 रजिया देवी पति स्व0 रामेश्वर मिस्त्री सा0 बरियाही बाजार, थाना–बनगॉव, जिला–सहरसा के नाम अंचल अधिकारी, कहरा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय में दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बरियाही बाजार	137	1415(पु0)	3002	01 कट्ठा 12 धूर

आवेदक का कथन है कि वाद में वर्णित जमीन से संबंधित मिस केश नं0 10/1956–57 न्यायालय, अपर समाहर्ता, सहरसा से आदेशित है जिस पर वासिन्दों के नाम मुताबिक एम0 फार्म के आधार पर जमाबंदी सं0 187 से अनिरूद्ध मिस्त्री पिता नुनु मिस्त्री के नाम से कंवल से मालगुजारी रसीद आवेदकगण के पिता के नाम से प्राप्त होता आया।

आवेदक का आगे कथन है कि द्वितीय पक्ष आवेदक एम0 फार्म की जमीन पर नाजायज विवाद करने आने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा के न्यायालय में भूमि विवाद वाद सं0 164/2014 में आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किये तथा विपक्षीगण के द्वारा आवेदकगण के जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण करने से प्रतिबंधित करने की भी आदेश पारित है। लेकिन इसी बीच

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

आदेशित भूमि की कायमी जमाबंदी सं0 187 से आवेदकगण को कोई सूचना तामिल कराये नाजायज रूप से विपक्षी सं0 02 मसो0 रजिया देवी पति स्व0 रामेश्वर मिस्त्री के नाम जमाबंदी नं0 268 रकवा 10 धूर 14 धूरकी वो विपक्षी सं0 03 श्रीमती मंजु देवी की माता मसो0 सीता देवी पति स्व0 शिबु मिस्त्री के नाम जमाबंदी सं0 267 रकवा 10 धुर 13 धुरकी की नाजायज रूप से जमाबंदी कायम कर दी गयी है।

आवेदक का पुनः कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में भी अपील वाद सं0 06/2017–18 में दि0 11.04.2018 ई को आदेश पारित करते हुए जमाबंदी सुधार/रद्दीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के निदेश के साथ कार्य वाही को समाप्त कर दी गयी।

आवेदक का अनुरोध है कि उक्त वर्णित जमाबंदी नं0 187 नामे अनिरूद्ध मिस्त्री की जमा से खारिज कर कायम की गयी जमाबंदी सं0 267 रकवा 10 धूर 13 धुरकी नामे मसो0 सीता देवी पति शिबु मिस्त्री वो जमाबंदी नं0 268 रकवा 10 धुर 14 धुरकी नामे मसो रजिया देवी पति स्व0 रामेश्वर मिस्त्री से खारिज कर कायमी जमाबंदी सं0 187 में शामिल कर कुल कायमी रकवा 01 कट्ठा 12 धूर की मालगुजारी रसीद निर्गत करने का पूर्व अनुरूप किया जाय।

प्रतिपक्षी का कथन है कि आवेदकगण एक धूर्त एवं चालबाज व्यक्ति है तथा न्यायालय को गुमराह करने के लिए तथा वर्षो पूर्व पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद प्रीभीलेज्ड पर्सन होम स्टीट टिनेन्सी एक्ट के अंतर्गत आता है एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

प्रतिपक्षी का पुनः कथन है कि अनिरूद्ध मिस्त्री तीन भाई थे वो घर के प्रमुख वो कर्ता थे वो बॉकि दो भाई नाबालिग थे तथा प्रश्नगत भूमि सम्मिलित परिवार के होने के कारण तीनों भाइयों का सम्मिलित हक दखल है। अनिरूद्ध मिस्त्री का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है–

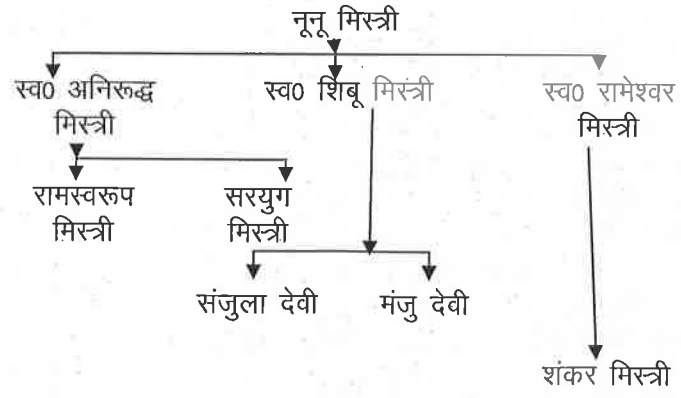

प्रतिपक्षी का कथन है कि स्व0 नूनू मिस्त्री को तीन पुत्र स्व0 अनिरूद्ध मिस्त्री, स्व0 शिबु मिस्त्री वो स्व0 रामेश्वर मिस्त्री हुए। स्व0 अनिरूद्ध मिस्त्री को दो पुत्र लाल मिस्त्री वो सरयुग मिस्त्री हुए, जो इस वाद में आवेदकगण है तथा शिबु मिस्त्री की पत्नी स्व0 सीता देवी हुई तथा स्व0 सीता देवी को दो पुत्री मंजु देवी वो संजुला देवी है तथा स्व0 रामेश्वर मिस्त्री की पत्नी रजिया देवी

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

विपक्षी पक्षकार है। इस प्रकार आवेदकगण का यह कहना कि विवादी जमीन आवेदकगण दखलकार हुए सरासर गलत है। जबकि विपक्षीगण का अपने–अपने हिस्सा के मुताबिक पूर्वजों के समय से ही बनाया गया है।

प्रतिपक्षीगण का आगे कथन है कि आवेदकगण तथ्य को छुपाकर विपक्षी के जमीन को कपटपूर्ण ढंग से विविध वाद सं0 164/2014 भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसमें जमाबंदी नं0 187 में वर्णित जमीन का सीमांकन करने संबंधी आदेश दिया गया। चूँकि जमाबंदी नं0 187 नाम से अनिरूद्ध मिस्त्री के जमाबंदी में अनिरूद्ध मिस्त्री के हिस्से के मुताबिक मात्र 10 धूर 13 धूरकी ही जमीन थी इसलिए आवेदकगण ने उक्त आदेश को नजरअंदाज करते हुए पुनः अपील वाद सं0 06/2017–18 दाखिल किये तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा ने उपरोक्त वाद को खारिज कर दिये तो पुनः विपक्षीगण यह वाद श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किये है।

प्रतिपक्षी का कथन है कि अंचलाधिकारी, कहरा के आदेश फलक वासगीत पर्चा वाद नं0 07/1997–98 के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस वाद के आवेदक के पिता तथा विपक्षी सं0 02 की माता तथा विपक्षी नं0 03 पक्षकार के रूप में उपरोक्त वाद में है तथा तीनों को अलग–अलग वासगीत पर्चा के रूप में 10 धूर 13 धूरकी एवं विपक्षी नं0 03 रजिया देवी को 10 धूर 14 धूरकी दखल कब्जा के आधार पर देने तथा अलग–अलग जमाबंदी कायम करने का आदेश हुआ। इसी प्रकार विपक्षी नं0 02 की माता सीता देवी के नाम से अलग जमाबंदी नं0 267 एवं रजिया देवी के नाम से अलग जमाबंदी नं0 267 एवं रजिया देवी के नाम से जमाबंदी नं0 268 कायम हुआ। जिसका हाल तक रसीद कटते चला आ रहा है। इस तथ्य को छुपाकर आवेदक के द्वारा यह वाद दाखिल किया गया है। इनका आगे कथन है कि प्रश्नगत जमीन पर अपने हिस्से के अनुसार आवेदक तथा प्रतिपक्षीगण का मकान बना हुआ है, जिस पर सभी सपरिवार रह रहे हैं। जब प्रतिपक्षी सं0 02 एवं 03 अपने मकान का मरम्मत कराने लगे तो आवेदकगण के द्वारा कानूनी उलझन पैदा करने के नीयत से यह वाद श्रीमान के न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमीन पर प्रतिपक्षी सं0 02 एवं 03 का स्वामित्व एवं दखल कब्जा है तथा दखल कब्जा के संबंध में आवेदक का दावा सरासर गलत है। इन्होंने इस रद्दीकरण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है। अपने कारण पृच्छा के साथ प्रतिपक्षी ने वासगीत पर्चा वाद सं0 7/97–98 में दि0 28.11.97 को अंचलाधिकारी, कहरा द्वारा पारित आदेश की प्रति हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति, मालगुजारी रसीद की छायाप्रति वर्ष 2000से 2018–19 तक का, इंदिरा आवास योजना से संबंधित स्वीकृत्यादेश संबंधी सूची की छायाप्रति तथा वंशवृक्ष दायर किया है।

उभय पक्षों को सुनने तथा तथा संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण को वर्ष 1997–98 से ही जमाबंदी कायम है तथा वासगीत पर्चा को आधार बनाकर जमाबंदी सृजन किया गया है। जैसा कि अंचलाधिकारी, कहरा के आदेश दि0 28.11.97 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिपक्षीगण आवेदक के संयुक्त परिवार के सदस्य रहे हैं तथा प्रश्नगत जमीन पर उनका मकान बना हुआ है। यह संभव है कि

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

प्रतिपक्षीगण का वासगीत पर्चा नियमानुकूल निर्गत नहीं हो, परंतु जब तक संबंधित वासगीत पर्चे का रद्दीकरण सक्षम न्यायालय से नहीं हो जाता है तब तक जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई न्यायोचित नहीं होगा।

उपरोक्त कथन के आलोक में मामले का निष्पादन किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

अपर समाहर्ता,
सहरसा

21/8/19

अपर समाहर्ता,
सहरसा